रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 13, 1986/अग्रहायण 22, 1908
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 13, 1986/AGRAHAYANA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
tatutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1986

का.नि.आ. 349.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1969 को जहां तक वे भारतीय वायुसेना को लागू होते हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय में, उच्च श्रेणी लिपिक और निम्न श्रेणी लिपिक/लिपिक हिन्दी टंकक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, भारतीय वायुसेना समूह "ग" (उच्च श्रेणी लिपिक) और निम्न श्रेणी लिपिक/लिपिक हिन्दी टंकक पद) भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके उन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. उच्च श्रेणी लिपिक	838*(1986) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" राजपत्रित अननुसचिवीय	1200-30-1560-द.रो.-40-2040 रु.	75% अचयन द्वारा 25% चयन द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : (1) 75% कादर के ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक/लिपिक हिन्दी टंककों की प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। (2) 25% कादर के ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, परन्तु यह तब जबकि उन्होंने 45 वर्ष की आयु पार न की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (1) संयुक्त निदेशक कार्मिक (सिविलियन)—अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक कार्मिक (सिविलियन)—सदस्य (3) कोई समूह "क" सिविलियन राजपत्रित अधिकारी/कमीशन प्राप्त अफसर जो संबद्ध स्थापन से संबंधित न हो —सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा प्रचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
2. निम्न श्रेणी लिपिक/लिपिक हिन्दी टंकक	1073*(1986) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	950-20 1150-द.रो.-25-1500रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणी : 1. आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। टिप्पणी : 2. ऐसे पदों की बाबत, जिन पर भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा। (2) अंग्रेजी टाइप लेखन में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टाइप लेखन में 25 शब्द प्रति मिनट से अन्यून की गति, परन्तु यह कि : (क) ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके पास टाइप लेखन में उक्त अर्हता नहीं है, उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि वह वेतनमान में वेतन वृद्धि पाने के लिए या उस श्रेणी मे स्थायीवत होने के लिए या पुष्टि के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह अंग्रेजी या हिन्दी टाइप लेखन में विहित गति अर्जित नहीं कर लेता। (ख) यह कि ऐसे किसी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा सुअर्हित है, किंतु जिसके पास टाइप लेखन में उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि कोई सिविल सर्जन या समतुल्य यह प्रमाणित कर दें कि उक्त विकलांग व्यक्ति टाइप करने के लिए समर्थ नहीं है।	आयु—नहीं शैक्षिक अर्हताएं—हां	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नतों के लिए दो वर्ष। स्थानांतरितियों के लिए कोई परिवीक्षा अवधि नहीं।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में [illegible] श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाए :
11	12
90 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 10% समूह "घ" कर्मचारियों की प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	स्थानान्तरण : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर संरचनाओं में समरूप समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में कार्य कर रहे हैं और जिनके पास स्तम्भ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं । प्रोन्नति : यूनिट/स्थापन के ऐसे समूह "घ" कर्मचारियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (1) नियुक्ति प्राधिकारी (संयुक्त निदेशक कार्मिक सिविलियन)—अध्यक्ष (2) सिविलियन स्टाफ आफिसर सहायक निदेशक कार्मिक सिविलियन/कार्मिक सिविलियन (विभागीय प्रोन्नति समिति)—सदस्य, (3) ऐसा समूह "क" सिविलियन राजपत्रित अधिकारी/कमीशन प्राप्त अधिकारी जो विभाग से असंबद्ध है—सदस्य	लागू नहीं होता

[फा.सं. वायु. मु./23049/288/पीसी-3 (ए)]
एम. सी. जुनेजा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 12th November, 1986

S.R.O. 349.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence (Class III posts) Recruitment Rules, 1969, in so far as they apply to the Indian Air Force, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk/Clerk Hindi Typist in the Indian Air Force, in the Ministry of Defence, namely:—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Indian Air Force Group 'C' (Upper Division Clerk) and Lower Division Clerk/Clerk Hindi Typists Posts) Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that if it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruitment	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8.
1. Upper Division Clerk	838* (1986)	General Central Service Group 'C' non-gazetted, Ministerial	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.	75% by non-selection, 25% by selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable.
2. Lower Division Clerk/ Clerk Hindi Typist.	1073* (1986) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'C' Non-gazetted, Ministerial	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.	Non-selection	Between 18 and 25 years (relaxable for Govt. servants upto 35 years of age in accordance with orders/instructions issued by the Central Government). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2 : In respect of post the recruitment to which is made through Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to sponsor names.	No.	(i) Matriculation or equivalent examination of recognised University/ Board. (ii) Speed of not less than 30 words per minute in type writing in English or 25 words per minute in typewriting in Hindi, provided : (a) that a person not possessing the said qualifications in typewriting may be appointed subject to the condition that he will not be eligible for drawing increment in the pay scale or for quasi-permanency or for confirmation in the grade till he acquires the prescribed speed in typewriting either in English or in Hindi; and (b) that a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that a Civil Surgeon or equivalent certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type.

*Subject to variation dependent on work-load.

Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By promotion	Promotion : (i) 75% by promotion of Lower Division Clerks/ Clerk Hindi Typists of the Cadre with 8 years regular service in the grade. (ii) 25% through limited Departmental competitive examination of such Lower Division Clerks of the cadre as have rendered 5 years regular service in the grade provided they have not crossed the age of 45 years.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : (i) Joint Director Personnel (Civilian) —Chairman (ii) Assistant Director Personnel (Civilian) —Member (iii) A group 'A' Civilian Gazetted Officer/ Comissioned Officer unconnected with establishment concerned—Member	Not applicable.
Age—No Educational qualification —Yes	Two years for direct recruits and promotees. No probation period for transferees	90% by transfer failing which by direct recruitment. 10% by Promotion of Group 'D' employees failing which by direct recruitment.	Transfer: Persons working in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing educational qualifications as prescribed for direct recruitments in Column 8. Promotion : Group 'D' employees of the Unit/Establishment who have rendered five year's regular service in the grade.	Group 'C' Departmental promotion Committee consisting of :— (i) Appointing Authority (Joint Director Personnel Civilian) —Chairman (ii) Civilian Staff Officer Assistant Director Personnel Civilian/ Personnel Civilian (Departmental Promomotion Committee) —Member (iii) Group 'A' Civilian Gazetted Officer/Commissioned Officer unconnected with the Department —Member	Not applicable.

[F. No. Air HQ/23049/288/PC 3A]
M.C. JUNEJA, Under Secy.

(विमान प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1986

का. नि. आ. 350—लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगताओं की बेदखली) अधिनियम 1971 एवं संशोधन अधिनियम 1984 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित अधिकारियों को सरकारी राजपत्रित अधिकारी होने के कारण, उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए, सम्पदा अधिकारियों के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है तथा उक्त अधिकारी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त कर्तव्यों को देय शक्तियों का उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में समरूपी प्रविष्टि में निर्धारित लोक परिसर की श्रेणियों के विषय में अपने क्षेत्राधिकार की सीमा के अन्दर, निष्पादन करेंगे ।

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी का पद	लोक परिसर की श्रेणी तथा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)	(3)
1.	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान चंडीगढ़	उनके नियंत्रण में रक्षा लेखा विभाग के आवास के बारे में
2.	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान मेरठ	
3.	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान पुणे	
4.	रक्षा लेखा नियंत्रक, बंगलौर	
5.	प्रभारी रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक वेतन लेखा कार्यालय (अन्य रैंक) तोपखाना नासिक	
6.	प्रभारी रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, नौ सेना विशाखापत्तनम	
7.	प्रभारी रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक, वेतन लेखा कार्यालय (अन्य रैंक) आर्मर्ड कोर रेजिमेंट अहमदनगर	
8.	प्रभारी रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक सिगनल्स कोर, जबलपुर	

(Finance Division)

New Delhi, the 21st November, 1986

S.R.O. 350.—In exercise of the powers conferred by the Section 3 of the Public Premises (Eviction of unauthorised occupants) Act 1971 and amendment Act 1984, the Central Government hereby appoints the Officers mentioned in column (2) of the table below being gazetted officers of Government, to be Estate Officers for the purpose of the said Act and the said Officers shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act, within the limits of their jurisdiction in respect of the categories of Public Premises specified in the corresponding entry in column (3) of the said table.

TABLE

Sl. No.	Designation of Officer	Categories of the Public Premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)	(3)
1.	CDA WC, Chandigarh	In respect of D.A.D. accommodation under their control.
2.	CDA CC, Meerut.	
3.	CDA SC, Poona	
4.	CDA Bangalore	
5.	Jt. C.D.A. I/c PAO (ORs) Arty, Nasik.	
6.	ACDA i/c AAO Navy, Visakhapatnam.	
7.	ACDA i/c PAO (ORs) ACR, Ahmedanagar.	
8.	Jt. CDA I/c Corps of Signals, Jabalpur.	

का.नि.आ. 351.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग के अधिकारियों को उनके लिए सिविल प्राक्कलनों में से निर्मित निवास स्थानों की बाबत निवास-स्थान आवंटन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी निवास स्थान आवंटन (रक्षा लेखा विभाग पूल) नियम, 1986 है।

(2) ये रक्षा लेखा विभाग के ऐसे सभी अधिकारियों को लागू होंगे जो ऐसे कार्यालय/स्टेशन में सेवा कर रहे हैं जहां रक्षा लेखा विभाग के सिविल प्राक्कलनों में से आवास-सुविधा निर्मित की है।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "आवंटन" से इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार निवास स्थान के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति देना अभिप्रेत है,

(ख) "आवंटन वर्ष" से प्रथम जनवरी को आरम्भ होने वाला वर्ष या ऐसी अन्य अवधि अभिप्रेत है जो (आवंटन प्राधिकारी) राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाए,

(ग) "आवंटन अधिकारी" से रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा किसी स्टेशन पर सरकारी निवास स्थान आवंटित करने के लिए समनुदेशित किया गया विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(घ) "पात्र कार्यालय" से रक्षा लेखा विभाग का वह कार्यालय या किसी स्टेशन का कोई ऐसा अन्य कार्यालय अभिप्रेत है, जिसके कर्मचारीवृन्द को, रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा समय समय पर इन नियमों के अधीन आवास सुविधा के लिए पात्र घोषित किया गया है,

(ङ) "उपलब्धियों" से मूल नियम 45-ग में यथापरिभाषित उपलब्धि अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत प्रतिकरात्मक भत्ते नहीं हैं।

स्पष्टीकरण—किसी निलम्बित अधिकारी के मामले में, उस आवंटन वर्ष के, जिसमें वह निलंबित किया गया है प्रथम दिन प्राप्त उपलब्धियों को, यदि वह आवंटन वर्ष के प्रथम दिन ही निलम्बित किया गया है तो उसके द्वारा उस तारीख के ठीक पहले प्राप्त उपलब्धियों को समझा जाएगा।

(च) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है यथास्थिति पत्नी या पति और संतान, सौतेली संतान, वैध रूप से दत्तक ली गई संतान, माता पिता, भाई या बहन या सामान्यतया अधिकारी के साथ निवास करते हैं, और उस पर आश्रित हैं।

(छ) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है, जब तक कि प्रकरण अन्यथा अपेक्षा न रखता हो।

(ज) अधिकारी नियम 5 के उपबन्धों के अधीन जिस टाइप के निवास स्थान का पात्र है उसके संबन्ध में अधिकारी की "पूर्विकता तारीख" से वह पूर्वतन तारीख अभिप्रेत है, जब से वह, छुट्टी की अवधि के सिवाय निरन्तर उतनी उपलब्धियां केन्द्रीय सरकार या अन्यत्र सेवा के अधीन पद पर प्राप्त करता रहा है, जो उसे किसी विनिर्दिष्ट टाइप या किसी उच्चतर टाइप के आवंटन के लिए सुसंगत है,

परन्तु टाइप "ख", "ग" या टाइप "घ" के निवास स्थानों के संबन्ध में, यह तारीख जब से अधिकारी केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा में, जिसके अन्तर्गत अन्यत्र सेवा की अवधि भी है, निरन्तर रहा है, उसको उस टाइप के लिए पूर्विकता तारीख होगी:

परन्तु यह और कि जहां दो या दो से अधिक अधिकारियों की पूर्विकता तारीख एक ही हो वहां उनके बीच ज्येष्ठता उपलब्धियों की रकम से अवधारित की जाएगी। अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी को कम उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी से अग्रता दी जाएगी और जहां उपलब्धियां समान हैं वहां ज्येष्ठता सेवाकाल के अनुसार अवधारित की जाएगी, किन्तु जहां सेवा ग्रहण करने की तारीख एक ही है वहां ज्येष्ठता उनकी आयु या जन्म की तारीख के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(झ) "अनुज्ञप्ति फीस" से इन नियमों के अधीन आवंटित निवास स्थान के संबन्ध में मूल नियमों के उपबन्धों के अनुसार मासिक रूप से संदेय धनराशि अभिप्रेत है,

(ञ) "निवास स्थान" से कोई ऐसा निवास स्थान अभिप्रेत है, जो उस समय आबंटन प्राधिकारी के नियंत्रण में है,

(ट) "शिकमी देने" के अन्तर्गत अन्य व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करके या उसके बिना, आवास सुविधा का सहभोग करना है ;

स्पष्टीकरण : किसी आबंटिती द्वारा अपने निकट संबन्धियों के साथ आवास सुविधा का सहभोग शिकमी देना, नहीं समझा जाएगा ;

(ठ) "अस्थायी स्थानान्तरण" से ऐसा स्थानान्तरण अभिप्रेत है, जिसमें अनुपस्थिति की अवधि चार मास से अनधिक हो :

(ड) "स्थानान्तरण" से किसी एक स्टेशन से अन्य स्टेशन को या किसी पात्र कार्यालय से उसी स्टेशन में किसी अपात्र कार्यालय को स्थानान्तरण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भारत सरकार के किसी अन्य विभाग के अधीन सेवा को स्थानान्तरण या प्रतिवर्तन और स्टेशन में किसी अपात्र कार्यालय में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति भी है ।

(ढ) किसी अधिकारी के संबन्ध में "टाइप" से निवास स्थान का वह टाइप अभिप्रेत है, जिसका वह नियम 5 के अधीन पात्र है ।

3. जिन अधिकारियों के अपने मकान होंगे वे इन नियमों के अधीन आबंटन के जारी अपात्र होंगे : (1) इन नियम में—

(क) "लगी हुई नगर पालिका" से ऐसी नगरपालिका अभिप्रेत है जो किसी स्थानीय नगरपालिका से लगी हुई है ।

(ख) किसी अधिकारी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के संबंध में "मकान" से ऐसा भवन या उसका भाग अभिप्रेत है जिसका उपयोग निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो और जो स्थानीय नगरपालिका या किसी लगी हुई नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर स्थित हो ।

स्पष्टीकरण:--किसी भवन का कोई भाग जिसका उपयोग निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस बात के होते हुए भी मकान उसका समझा जाएगा कि उसके किसी भाग का अनिवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है ।

(ग) किसी अधिकारी के संबन्ध में "स्थानीय नगरपालिका" से वह नगरपालिका अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर उस अधिकारी का कार्यालय स्थिति है ।

(घ) किसी अधिकारी के संबंध में "कुटुम्ब का सदस्य" से, यथास्थिति पति या पत्नी या अधिकारी की उस पर आश्रित कोई संतान अभिप्रेत है;

(ङ) "नगरपालिका" के अंतर्गत नगर निगम, नगरपालिका समिति या बोर्ड, कोई शहर क्षेत्र समिति कोई अधिसूचित क्षेत्र समिति, और कोई छावनी बोर्ड है ।

(2) कोई भी अधिकारी, इन नियमों के अधीन सरकारी निवास स्थान के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह या उसके कुटुम्ब का कोई अन्य सदस्य, उस स्टेशन पर जहां उसे तैनात किया गया है । मकान का स्वामी है ।

(3) जहां इन नियमों के अधीन किसी अधिकारी को सरकारी निवास स्थान के आबंटन के पश्चात् वह या उसके कुटुम्ब का कोई अन्य सदस्य मकान का निर्माण करता है, तथा अन्यथा किसी मकान का स्वामी बन जाता है, वहां ऐसा अधिकारी :—

(क) उस तारीख से, जिसको वह या ऐसा सदस्य मकान का स्वामी बन जाता है, चार सप्ताह की अवधि के भीतर आबंटन प्राधिकारी को तथ्य अधिसूचित करेगा, और

(ख) इन नियमों के अधीन उसे आबंटित सरकारी निवास स्थान को रखने के लिए अपात्र होगा और उक्त तारीख से चार सप्ताह के भीतर अपने अधिभोग में के सरकारी निवास-स्थान को अभ्यर्पित कर देगा ।

स्पष्टीकरण : खंड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए, किसी नए निर्मित मकान की दशा में किसी व्यक्ति को उस तारीख से जिसको संबंधित स्थानीय निकाय पूर्ण होने का प्रमाणपत्र देता है या मकान के वास्तविक अधिभोग की तारीख से, जो भी पहले हो, किसी मकान का स्वामी बन गया समझा जाएगा ।

4. (1) पति या पत्नी को आबंटन और एक दूसरे से विवाहित *अधिकारियों के मामलों में पात्रता :—(1) किसी भी ऐसे अधिकारी* को, यथास्थिति जिसकी पत्नी या जिसके पति को पहले ही निवास-*स्थान आबंटित किया जा चुका है, इन नियमों के अधीन कोई निवास* स्थान तब तक आबंटित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा निवास स्थान अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता है ;

परन्तु यह उप नियम वहां लागू नहीं होगा जहां पति और पत्नी (क) अलग अलग स्टेशनों पर तैनात है या (ख) किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में पृथक-पृथक निवास कर रहे हैं ।

(2) जहां दो अधिकारी, जो इन नियमों के अधीन अलग अलग आबंटित निवास स्थानों के अधिभोगी हैं, एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, वहां वे विवाह के एक मास के भीतर उन निवास स्थानों में से एक आवास को अभ्यर्पित कर देंगे ।

(3) यदि निवास स्थान का अभ्यर्पण उपनियम (2) की अपेक्षानुसार नहीं किया जाता है, तो निम्नतर टाइप के निवास स्थान का आबंटन या उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर रद्द किया गया समझा जाएगा और यदि निवास स्थान एक ही टाइप के हैं, तो आबंटन प्राधिकारी के विनिश्चयानुसार उनमें से एक का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द किया गया समझा जाएगा ।

(4) जहां पति और पत्नी दोनों ही, पात्र कार्यालयों में नियोजित हैं, वहां इन नियमों के अधीन उन दोनों में से प्रत्येक के निवास स्थान के आबंटन के हक पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा ।

(5) उप नियम (1) से (4) में किसी बात के होते हुए भी :—

(क) यदि, यथास्थिति, पत्नी या पति को, जो इन नियमों के अधीन निवास-स्थान का आबंटिती है, ऐसे पूल से, जिसे ये नियम लागू होते एक ही स्टेशन पर निवास स्थान संबंधी कोई आवास सुविधा आबंटित कर दी जाती है तो यथास्थिति पत्नी या पति ऐसे आबंटन के एक मास के भीतर इन निवास स्थानों में से कोई एक अभ्यर्पित कर देगा :

परन्तु यह खण्ड वहां लागू नहीं होगा जहां पति और पत्नी, किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में पृथक पृथक निवास कर रहे हैं,

(ख) जहां दो अधिकारी, जो एक ही स्टेशन पर ऐसे अलग-अलग *निवास स्थानों के अधिभोगी हैं, जिनमें से एक निवास स्थान* इन नियमों के अधीन आबंटित किया गया है, और दूसरा ऐसे पूल से, जिसे ये नियम लागू नहीं होते, एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, वहां उनमें से कोई भी एक अधिकारी ऐसे विवाह के एक मास के भीतर उन निवास स्थानों में से किसी एक को अभ्यर्पित कर देगा, और

(ग) यदि निवास स्थान का अभ्यर्पण खण्ड (क) या खण्ड (ख) को अपेक्षानुसार नहीं किया जाता है तो इन नियमों के अधीन निवास स्थान आबंटन को इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर रद्द किया गया समझा जाएगा ।

5. निवास स्थानों का वर्गीकरण : इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई अधिकारी, उक्त सारणी के स्तंभ (1) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टाइप के निवास स्थान के आबंटन का पात्र होगा ।

सारणी

निवास स्थान का टाइप	अधिकारी को जिस आबंटन वर्ष में आबंटन किया जाता है उसके प्रथम दिन उसका प्रवर्ग या उसकी मासिक उपलब्धियां
(1)	(2)
क (या एन-3)	259 रु. तक
ख (या एन-4)	260 रु. से 499 रु. तक
ग (या एन-5)	500 रु. से 999 रु. तक
घ (या एन-6)	1000 रु. से 1499 रु. तक
ङ (या एन-7)	1500 रु. और उससे ऊपर

6. आबंटन के लिए आवेदन :—(1) प्रत्येक सरकारी अधिकारी, जो सरकारी आवास सुविधा का अधिभोगी है अपना आवेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति तथा ऐसी तारीख तक भेजेगा । जो आबंटन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) ऐसे अधिकारी की दशा में, जो सरकारी आवास सुविधा के अधिभोगी नहीं हैं, आबंटन प्राधिकारी ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति तथा ऐसी तारीख से पूर्व, जो इसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(3) वह अधिकारी, जो प्रथम नियुक्ति या स्थानांतरण पर स्टेशन में किसी पात्र कार्यालय में पदभार ग्रहण करता है, अपना आवेदन अपने पद भार ग्रहण करने के एक मास के भीतर आबंटन प्राधिकारी को भेज सकेगा ।

(4) उप-नियम (3) के अधीन किसी कलैंडर मास को बीस तारीख को या उसके पूर्व प्राप्त किए गए आवेदनों पर ही उत्तरवर्ती मास में आबंटन के लिए विचार किया जाएगा ।

7. निवास स्थानों पर आबंटन और प्रस्थापनाएं :—(1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, किसी निवास स्थान के खाली होने पर वह आबंटन प्राधिकारी द्वारा अधिमानतः उस आवेदन को आबंटित किया जाएगा जो नियम 13 के उपबंधों के अधीन उस टाइप की आवास सुविधा का परिवर्तन चाहता है और यदि उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित न हो तो, उस आवेदक को आबंटित किया जाएगा जिसके पास उस टाइप की आवास सुविधा नहीं है और जिसकी उस टाइप के निवास स्थान के लिए पूर्विकता तारीख सबसे पहले हो, यह आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात् :—

(क) आबंटन प्राधिकारी, उस टाइप से उच्चतर टाइप का निवास स्थान आबंटित नहीं करेगा जिसका आवेदक नियम 5 के अधीन पात्र है ।

(ख) आबंटन प्राधिकारी, किसी आवेदक को इस बात के लिए विवश नहीं करेगा कि वह जिस टाइप के निवास स्थान का नियम 5 के अधीन पात्र है उससे निम्नतर टाइप का निवास स्थान स्वीकार करे ।

(ग) आबंटन प्राधिकारी, किसी निम्नतर प्रवर्ग के निवास स्थान के आबंटन के लिए किसी आवेदक के अनुरोध पर उसे ऐसे टाइप से ठीक नीचे का निवास स्थान आबंटित कर सकेगा, जिसके लिए आवेदक नियम 5 के अधीन, उसके लिए अपनी पूर्विकता तारीख के आधार पर पात्र है ।

(2) यदि किसी अधिकारी के अधिभोग के निवास स्थान को खाली कराना अपेक्षित हो तो आबंटन प्राधिकारी, उस अधिकारी का वर्तमान आबंटन रद्द कर सकेगा और उसे उसी टाइप का अनुकल्पी निवास स्थान या आपातिक परिस्थितियों में, उस अधिकारी के अधिभोग के निवास स्थान के टाइप से ठीक नीचे टाइप का अनुकल्पी निवास स्थान आबंटित कर सकेगा ।

(3) खाली निवास स्थान को उप-नियम (1) के अधीन किसी अधिकारी को आबंटित किए जाने के अतिरिक्त अन्य पात्र अधिकारियों को उनकी पूर्विकता तारीखों के क्रम में प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

8. आबंटन या प्रस्थापना को स्वीकार न किया जाना या आबंटित निवास स्थान को स्वीकार करने के पश्चात् अधिभोग में न लिया जाना :— (1) यदि कोई अधिकारी किसी निवास स्थान का आबंटन आबंटन-पत्र को प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर स्वीकार नहीं करता है या स्वीकार करने के पश्चात् आठ दिन के भीतर उस निवास स्थान का कब्जा नहीं लेता है, तो वह उस आबंटन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक दूसरे आबंटन का पात्र नहीं होगा ।

(2) यदि किसी अधिकारी को जिसके अधिभोग में किसी निम्नतर टाइप का निवास स्थान है, ऐसे टाइप का निवास स्थान आबंटित या प्रतिस्थापित किया जाता है जिसके लिए वह नियम–5 के अधीन पात्र है या जिसके लिए उसने नियम-7 के उपनियम (i) के खण्ड (ग) के अधीन किया है, तो उसे उक्त आबंटन या आबंटन की प्रस्थापना से इंकार कर देने पर, पहले से आबंटित निवास स्थान में रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात् :

(क) ऐसा अधिकारी आवास सुविधा के उच्चतर वर्ग के लिए आबंटन पत्र की तारीख से छह मास की अवधि तक दूसरे आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा,

(ख) वर्तमान निवास स्थान रखे रहने के दौरान, उससे वही अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी जो उसे मूल नियम 45 क के अधीन इस प्रकार आबंटित या प्रस्तावित निवास स्थान की बाबत संदत्त करनी पड़ती या वह अनुज्ञप्ति फीस संदत्त करनी पड़ती जो उस निवास स्थान की बाबत संदेय है जो पहले ही उसके अधिभोग में है, दोनों में जो भी अधिक हो ।

9. आबंटन बने रहने की अवधि और आगे बनाए रखने की रियायती अवधि:—(1) आबंटन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है और तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि,

(क) अधिकारी के उस स्टेशन में जहां आबंटन किया गया है, किसी पात्र कार्यालय में कर्तव्यारूढ़ न रह जाने के पश्चात् वह रियायती अवधि समाप्त नहीं हो जाती जो उप नियम (2) के अधीन अनुज्ञेय है,

(ख) उसे आबंटन प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या इन नियमों के किसी उपबंध के अधीन रद्द किया गया नहीं समझा जाता,

(ग) उस अधिकारी द्वारा अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता, या

(घ) अधिकारी निवास स्थान या अधिभोग समाप्त नहीं कर देता ।

(2) किसी अधिकारी को आबंटित निवास स्थान, उप नियम (3) के अधीन रहते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के होने पर उस अवधि तक रखा जा सकेगा जो उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, परन्तु यह तब जब कि वह निवास स्थान उस अधिकारी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के वास्तविक उपयोग के लिए अपेक्षित हो ।

सारणी

	घटनाएं	निवास स्थान रखने की अनुज्ञेय अवधि
	(1)	(2)
(I)	पदत्याग, पदच्युति, सेवा से हटाया जाना या सेवा की समाप्ति या बिना अनुज्ञा के अप्राधिकृत अनुपस्थिति	एक मास
(II)	सेवानिवृत्ति या सेवांत छुट्टी	चार मास
(III)	आबंटिती की मृत्यु	छः मास
(IV)	स्टेशन से बाहर किसी स्थान के लिए स्थानांतरण या स्टेशन में किसी अपात्र कार्यालय में स्थानांतरण	दो मास
(V)	भारत में अन्यत्र पर सेवा पर जाने पर	दो मास
(VI)	भारत में अस्थायी स्थानांतरण या भारत से बाहर किसी स्थान के लिए स्थानांतरण	चार मास
(VII)	छुट्टी (जो सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी, अस्वीकृत छुट्टी, सेवांत छुट्टी, चिकित्सीय छुट्टी, प्रसूति छुट्टी या अध्ययनार्थ छुट्टी से भिन्न हो)।	छुट्टी की अवधि तक, किन्तु चार मास से अधिक नहीं
(VIII)	प्रसूति छुट्टी	अधिकतम 5 मास के अधीन रहते हुए, क्रम में मंजूर की गई छुट्टी तथा प्रसूति छुट्टी की अवधि तक।
(IX)	सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी या केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 के नियम 39 के अधीन मंजूर की गई अस्वीकृत छुट्टी या किसी सरकारी सेवक को मंजूर की गई छुट्टी जो मूल नियम 56(ज) के अधीन सेवानिवृत्त होता है।	सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी की दशा में अधिकतम 180 दिन और अन्य दशाओं में चार मास, अंतर्गत सेवानिवृत्ति की दिशा में अनुज्ञेय अवधि भी है, के अधीन रहते हुए पूरे औसत वेतन पर छुट्टी की पूर्ण अवधि तक।
(X)	भारत में या भारत से बाहर अध्ययनार्थ छुट्टी।	(क) यदि अधिकारी अपनी पात्रता से नीचे की आवास सुविधा का अधिभोगी है तो अध्ययनार्थ छुट्टी की संपूर्ण अवधि तक। (ख) यदि अधिकारी अपनी पात्रता वाले टाइप की आवास सुविधा का अधिभोगी है तो अध्ययनार्थ छुट्टी की अवधि तक किन्तु छः मास से अधिक नहीं, परन्तु जहां अध्ययनार्थ छुट्टी छः मास से अधिक बढ़ जाती है वहां उसे छः मास की समाप्ति पर, या अध्ययनार्थ छुट्टी के प्रारंभ होने की तारीख से, यदि वह ऐसा चाहे, उसकी पात्रता से एक टाइप नीचे की अनुकल्पी आवास सुविधा आवंटित की जा सकेगी।
(XI)	भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति की अवधि तक किन्तु छह मास से अधिक नहीं।
(XII)	चिकित्सीय आधार पर छुट्टी	छुट्टी की पूर्ण अवधि
(XIII)	प्रशिक्षण के लिए जाने पर	प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि तक।

स्पष्टीकरण 1 : जहां भारत में स्थानांतरण होने या अन्यत्र सेवा में जाने पर किसी अधिकारी की छुट्टी मंजूर की जाती है और वह नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उस छुट्टी का उपभोग करता है वहां उसे मद (1), (V), (VI) के सामने वर्णित अवधि के लिए, या छुट्टी की अवधि के लिए जो भी अधिक हो, निवास स्थान रखे रहने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण 2 : जहां भारत में स्थानांतरण या अन्यत्र सेवा संबंधी कोई आदेश किसी अधिकारी को तब जारी किया जाता है जब वह पहले से ही छुट्टी पर है, वहां स्पष्टीकरण 1 के अधीन, अनुज्ञेय अवधि ऐसा आदेश जारी करने की तारीख से गिनी जाएगी।

(3) जहां कोई निवास स्थान उप-नियम (2) के अधीन रखे रहा जाए वहां अनुज्ञेय रियायती अवधियों की समाप्ति पर वह आवंटन रद्द किया गया समझा जाएगा, जब तक उस की समाप्ति पर अधिकारी स्टेशन में जहां आवंटन किया गया है, पात्र कार्यालय में कार्यभार तुरन्त ग्रहण नहीं कर लेता।

(4) जहां कोई अधिकारी, बिना वेतन और भत्तों के चिकित्सीय छुट्टी पर है, वहां वह उस नियम (2) के नीचे दी गई सारणी के मद (XII) के अधीन दी गई रियायत के आधार पर अपने निवास स्थान को रख सकता है, परन्तु यह तब जब कि वह ऐसे निवास स्थान के लिए अनुज्ञप्ति फीस प्रतिमास नकद भेजता रहता है, और जहां वह ऐसी अनु- [illegible] मास से अधिक तक नहीं भेजता है वहां आवंटन रद्द हो जाएगा।

(5) उप नियम (2) या उप नियम (3) या उप नियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, जब किसी अधिकारी को पदच्युत या सेवा से हटाया जाता है, या जब उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, और उस कार्यालय को, जिससे ऐसा अधिकारी ऐसी पदच्युति सेवा से हटाए जाने या जब सेवा की समाप्ति से ठीक पूर्वनियोजित था विभागाध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह ऐसे अधिकारी को किए गए निवास स्थानों का आवंटन या तो तुरंत या उप नियम (2) के नीचे दी गई सारणी की मद (i) में निर्दिष्ट एक मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऐसी तारीख से, जो वह निर्दिष्ट करे, आवंटन प्राधिकारी से रद्द करने की अपेक्षा कर सकेगा और आवंटन प्राधिकारी तदनुसार कार्य करेगा।

10. अनुज्ञप्ति फीस से संबंधित उपबंध—(1) जहां आवास सुविधा या अनुकल्पी आवास सुविधा का आवंटन स्वीकार कर लिया गया है वहां अनुज्ञप्ति फीस का दायित्व अधिभोग की तारीख से या आवंटन की प्राप्ति की तारीख के आठवें दिन से जो भी पहले हो प्रारम्भ होगा।

(2) किसी ऐसे अधिकारी से, जो स्वीकार करने के पश्चात् आवंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर उस आवास सुविधा का कब्जा नहीं लेता है, ऐसी तारीख से 12 दिन की अवधि तक अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी। परन्तु इसमें की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां सैनिक इंजीनियर सेवा यह प्रमाणित करे कि आवास सुविधा अधिभोग के लिए उपयुक्त नहीं है और उसके परिणामस्वरूप अधिकारी पूर्वोक्त अवधि के भीतर आवास सुविधा को अधिभोग में नहीं ले रहा है।

(3) जहां किसी ऐसे अधिकारी को, जो किसी निवास स्थान का अधिभोगी है, दूसरा निवास स्थान आवंटित किया जाता है और वह नए निवास-स्थान को अधिभोग में लेता है तो पहले निवास स्थान का आवंटन ले नए निवास स्थान के अधिभोग की तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा तथापि, वह निवास स्थान के परिवर्तन के लिए पहले वाले निवास स्थान को उस दिन और उसके बाद के एक दिन तक, बिना अनुज्ञप्ति फीस दिए रख सकेगा,

परन्तु यदि पहले वाले निवास स्थान को यथापूर्वोक्त बाद वाली तारीख से खाली नहीं किया जाता है तो अधिकारी निवास स्थान के उपयोग और अधिभोग के लिए नुकसानी का और सेवा, फर्नीचर और उद्यान के प्रभार का बाजार अनुज्ञप्ति फीस के बराबर, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए, बाद वाले निवास स्थान को कब्जा लेने की तारीख से संदाय करने के दायित्वाधीन होगा।

11. निवास स्थान के खाली किए जाने तक अधिकारी का अनुज्ञप्ति फीस देने का वैयक्तिक दायित्व और अस्थायी अधिकारियों द्वारा प्रतिभू का दिया जाना :—(1) ऐसा अधिकारी, जिसे कोई निवास स्थान आवंटित किया गया है, उसकी अनुज्ञप्ति फीस और उचित टूट फूट के अतिरिक्त उसको या सरकार द्वारा उसमें उपलब्ध कराए गए फर्नीचर, फिक्सचर या फिटिंग या सेवाओं को, उस अवधि के दौरान जिसके लिए निवास स्थान उसे आवंटित कर दिया गया है, या जहां आवंटन इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द कर दिया गया है वहां निवास स्थान तथा उससे संलग्न उपगृह खाली करके उनका पूर्णतः खाली रूप में कब्जा सरकार को वापस नहीं कर दिया जाता है, हुए किसी नुकसान के लिए वैयक्तिक रूप से दायी होगा।

(2) जहां ऐसा अधिकारी, जिसे कोई निवास स्थान आवंटित किया गया है, न तो स्थायी और न स्थायीकल्प सरकारी सेवक है, वहां वह सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्ररूप में एक प्रतिभूति बंधपत्र एक ऐसा प्रतिभू जो केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवारत स्थायी सरकारी सेवक होगा, सहित ऐसे निवास स्थान और सेवाओं तथा उसके बदले में दिए गए किसी अन्य निवास स्थान की बाबत अनुज्ञप्ति फीस और उससे शोध्य अन्य प्रभारों के सम्यक् संदाय के लिए निष्पादित करेगा।

(3) यदि प्रतिभू सरकारी सेवा में नहीं रह जाता है या दिवालिया हो जाता है या अपनी गारंटी वापस ले लेता है, या किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं रह जाता है, तो अधिकारी किसी अन्य प्रतिभू द्वारा निष्पादित एक नया बंधपत्र उसे ऐसी घटना या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर देगा और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो, जब तक कि आवंटन प्राधिकारी अन्यथा विनिश्चय न करे, उसे उस निवास स्थान का आवंटन उस घटना की तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा।

12. आवंटन का अभ्यर्पण और सूचना की अवधि :—(1) अधिकारी किसी भी समय आवंटन का अभ्यर्पण उस आशय की ऐसी सूचना देकर कर सकेगा, जो निवास स्थान को खाली करने की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व आवंटन प्राधिकारी के पास पहुंच जाए। निवास स्थान का आवंटन, उस दिन के, जिसकी आवंटन प्राधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है, या सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख के, जो भी पश्चात्वर्ती हो पश्चात् ग्यारहवें दिन से रद्द समझा जाएगा। यदि अधिकारी सम्यक् सूचना नहीं देता है तो वह दस दिन की या उसके द्वारा दस दिन की सूचना देने में जितने दिन की कमी हो उतने दिन की अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए उत्तरदायी होगा, परन्तु आवंटन प्राधिकारी कम अवधि की सूचना स्वीकार कर सकेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन निवास स्थान अभ्यर्पित करने वाले अधिकारी के संबंध में उसी स्टेशन पर सरकारी आवास सुविधा का आवंटन करने के लिए ऐसे अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

13. निवास स्थान का परिवर्तन :—(1) ऐसा अधिकारी, जिसे इन नियमों के अधीन कोई निवास स्थान आवंटित किया गया है, उसके बदले में उसी टाइप के दूसरे निवास स्थान या उस टाइप के, जिसका वह नियम 5 के अधीन पात्र है, निवास स्थान जो भी निम्नतर हो, के लिए आवेदन कर सकेगा। अधिकारी को आवंटित एक टाइप के निवास स्थान की बाबत केवल एक बार से अधिक परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी

(2) आवंटन प्राधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में परिवर्तन के लिए किए गए आवेदन, तिमाही रूप में, 15 मार्च, 15 जून, 15 सितम्बर और 15 दिसम्बर तक प्राप्त किए जाएंगे और उत्तरवर्ती मास में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। इस नियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अधिकारी, जिनके नाम पूर्ववर तिमाही में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किए गए हैं, उससे सामूहिक रूप से ज्येष्ठ होंगे जिनके नाम पश्चात्वर्ती तिमाही की सूची में सम्मिलित किए गए हैं। किसी विशिष्ट मास में, सूची में सम्मिलित अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, उनकी पूर्विकता तारीखों के क्रम में अवधारित की जाएंगी।

(3) परिवर्तन की प्रस्थापना, उपनियम (2) के अनुसार अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में और अधिकारी की अधिमानता का यथा संभव ध्यान में रखते हुए की जाएगी,

परन्तु अधिवर्षिता की तारीख से ठीक छह मास पहले की अवधि के दौरान निवास स्थान में परिवर्तन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) यदि कोई अधिकारी, उसे प्रस्थापित निवास स्थान का परिवर्तन ऐसी प्रस्थापना या आवंटन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर स्वीकार नहीं करता है तो उसके नाम पर, उस टाइप के आवंटन के परिवर्तन के लिए पुनः विचार नहीं किया जाएगा।,

(5) ऐसे अधिकारी से, जो निवास स्थान का परिवर्तन स्वीकार करने के पश्चात् उसका कब्जा नहीं लेता है, ऐसे निवास स्थान के लिए नियम 10 के उप-नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी जो, उस निवास स्थान के लिए, जो पहले ही उसके कब्जे में है, जिसका आवंटन बना रहेगा, मूल नियम 45-क के अधीन प्रसामान्य अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त होगी।

14. कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में निवास स्थान का परिवर्तन :—नियम 13 में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अधिकारी के कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और वह निवास स्थान के परिवर्तन के लिए आवेदन ऐसी घटना के तीन मास के भीतर करता है तो उसे निवास स्थान के परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सके। यह परिवर्तन उसी टाइप के निवास स्थान में और उसी मंजिल पर होगा जैसा निवास स्थान उस अधिकारी को पहले से आवंटित है।

15. निवास स्थान की पारस्परिक अदला बदली :—ऐसे अधिकारी जिन्हें इन नियमों के अधीन एक ही टाइप के निवास स्थान आवंटित किए गए हैं, अपने निवास स्थानों की पारस्परिक अदला बदली करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि युक्तियुक्त तौर पर यह प्रत्यक्षा

हो कि दोनों अधिकारी ऐसी अदला बदली अनुमोदन की तारीख से कम से कम छह मास तक स्टेशन में कर्तव्यारूढ़ रहेंगे और पारस्परिक रूप में अदला बदली में प्राप्त अपने निवास स्थानों में रहेंगे तो पारस्परिक अदला बदली की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

16. ऐसे स्टेशन के लिए स्थानांतरण जहां कुटुम्ब नहीं रखा जा सकता :—यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण किसी ऐसे स्टेशन को किया जाता है जहां उसे अपना कुटुम्ब अपने साथ ले जाने के लिए सरकार द्वारा अनुज्ञा या सलाह नहीं दी जाती और इन नियमों के अधीन उसे आवंटित निवास स्थान उसकी संतान की वास्तविक शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए कुटुम्ब द्वारा अपेक्षित है, तो उसे, अनुरोध करने पर, स्टेशन में अपनी संतान के चालू शक्षणिक सत्र के अन्त तक मूल नियम 45-क के अधीन अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर, निवास स्थान रखने के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगी।

17. निवास स्थान का अनुरक्षण :—ऐसा अधिकारी जिसे निवास स्थान आवंटित किया गया है, निवास स्थान और परिसर को, सैनिक इंजीनियर सेवा और स्थानीय नगर पालिका समिति या निगम के समाधानप्रद रूप में, स्वच्छ दशा में रखेगा। ऐसा अधिकारी, उस निवास स्थान से संलग्न किसी उद्यान, आंगन या अहाते में सरकार या सैनिक इंजीनियर सेवा द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के विरुद्ध न तो कोई वृक्ष, झाड़ी या पौधे उगाएगा और न ही किसी विद्यमान वृक्ष या झाड़ी को पूर्वोक्त प्राधिकारियों की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना काटेगा या छांटेगा। इस नियम के उल्लंघन में उगाए गए वृक्ष, पौधे या वनस्पति संबंधित अधिकारी की जोखिम और उसके खर्चे पर आवंटन प्राधिकारी द्वारा, हटवाए जा सकेंगे। सरकारी आवास सुविधा के परिसर में पशु, कुत्ते और कुक्कुट रखने के लिए अधिकारी को आवंटन प्राधिकारी और स्थानीय नागरिक निकाय की पूर्व मंजूरी ले लेनी चाहिए।

18. निवास स्थान को शिकमी देना और उसका सहभोग :—(1) कोई भी अधिकारी, उसको आवंटित निवास स्थान या उससे संलग्न उपगृहों, गैरेजों का सहभोग इन नियमों के अधीन निवास स्थान के आवंटन के पात्र केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ ही करेगा। सेवकों के क्वाटरों उपगृहों, गैरेजों का जिसके अन्तर्गत आवंटिती के सेवकों का निवास स्थान भी है, उपयोग केवल सदभावी प्रयोजनों के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए, जो आवंटन प्राधिकारी अनुज्ञात करे किया जाएगा।

(2) कोई भी अधिकारी अपने सम्पूर्ण निवास स्थान को शिकमी नहीं देगा परन्तु छुट्टी पर जाने वाला अधिकारी, अपने निवास स्थान में किसी अन्य अधिकारी को, जो सरकारी आवास सुविधा का सहभोग करने के लिए पात्र है, देखभाल करने वाले के रूप में नियम 9 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि तक, किन्तु छह मास से अधिक नहीं रख सकेगा।

(3) जो अधिकारी अपने निवास स्थान का सहभोग करता है या उसे शिकमी देता है, वह ऐसा अपनी जोखिम और उत्तरदायित्व पर करेगा और उस निवास स्थान की बाबत संदेय कोई अनुज्ञप्ति फीस के लिए और ऐसे किसी नुकसान के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी बना रहेगा जो निवास स्थान को या उसकी प्रसीमाओं या भूमियों को या सरकार द्वारा उसमें उपलब्ध कराई गई सेवा की उचित टूट फूट के अतिरिक्त हो।

19. नियमों और शर्तों को भंग करने के परिणाम :—(1) यदि ऐसा अधिकारी, जिसे निवास स्थान आवंटित किया गया है, अप्राधिकृत रूप से निवास स्थान शिकमी देता है या सहभोगी से अनुज्ञप्ति फीस ऐसी दर से भारित करता है जिसे आवंटन प्राधिकारी अत्यधिक समझता है या निवास स्थान के किसी भाग में अप्राधिकृत संरचना का निर्माण करता है या निवास स्थान या उसके किसी भाग का उपभोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए करता है जिसके लिए वह है या बिजली या पानी के कनेक्शन में गड़बड़ी करता है या नियमों या आवंटन के निबन्धनों और शर्तों को भंग करता है या किन्हीं ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें आवंटन प्राधिकारी अनुचित समझे, निवास स्थान या परिसर का उपयोग करता है या उपयोग करवाता है, या स्वयं ऐसा आचरण करता है जो आवंटन प्राधिकारी की राय में उस अधिकारी के पड़ोसियों के साथ सदभावपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है या आवंटन प्राप्त करने की दृष्टि से किसी आवेदन या लिखित कथन में कोई गलत जानकारी जान बूझकर देता है तो आवंटन प्राधिकारी, ऐसी किसी अन्य आनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उनके विरुद्ध की जा सकती हो, निवास स्थान का आवंटन रद्द कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :

(1) इस उपनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिकारी पद के अन्तर्गत उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य और ऐसे अधिकारी की मार्फत दावा करने वाला कोई व्यक्ति भी है।

(2) यदि कोई अधिकारी, उसे आवंटित किसी निवास स्थान को या उसके किसी भाग या उससे संलग्न किसी उपगृह, गैरेज को इन नियमों का उल्लंघन करके शिकमी देता है, तो ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, उससे मूल नियम 45-क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस के चार गुना से अनधिक वर्धित अनुज्ञप्ति फीस भारित की जा सकेगी। प्रत्येक मामले में अनुज्ञप्ति फीस की मात्रा और वह अवधि जिसके लिए वह वसूल की जा सकेगी, गुणागुण के आधार पर आवंटन प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएगी, उसके अतिरिक्त उस अधिकारी को भविष्य में ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि तक, जो आवंटन प्राधिकारी विनिश्चय करे, निवास स्थान का सहभोग करने से विवर्जित किया जा सकेगा।

(3) जहां आवंटिती द्वारा परिसर के अप्राधिकृत रूप से शिकमी दिए जाने के कारण आवंटन को रद्द करने की कार्यवाई की जाती है, वहां आवंटिती और उसके साथ उसमें निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को परिसर को खाली करने के लिए साठ दिन का समय दिया जाएगा। आवंटन, परिसर खाली किए जाने की तारीख से या आवंटन रद्द करने के आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने पर जो भी पहले हो, रद्द हो जाएगा।

(4) जहां किसी निवास स्थान का आवंटन, ऐसे आचरण के कारण रद्द किया जाता है जो पड़ोसियों के साथ सद्भावपूर्ण संबन्धों को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो वहां उस अधिकारी को आवंटन प्राधिकारी के विवेकानुसार उसी वर्ग का अन्य निवास स्थान किसी अन्य स्थान पर आवंटित किया जा सकेगा।

(5) आवंटन प्राधिकारी, उप नियम (1) से (4) के अधीन सभी कार्यवाहियों या कोई कार्यवाई करने के लिए और उस अधिकारी को, जो नियमों तथा उसके जारी किए गए अनुदेशों को भंग करता है, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, आवास सुविधा के आवंटन के लिए भी अपात्र घोषित करने के लिए सक्षम होगा।

(6) जहां इस नियम के अधीन कोई शास्ति आवंटन प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाती है, वहां व्यथित व्यक्ति अपने या अपने नियोजक द्वारा शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेशों की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर रक्षा लेखा महानियंत्रक को अभ्यावेदन कर सकेगा।

(7) शास्ति अधिरोपित करने वाला मूल आदेश तब तक वैध रहेगा जब तक वह अभ्यावेदन के परिणामस्वरूप उपान्तरित या विखंडित न हो जाए।

20. आवंटन को रद्द करने के पश्चात् निवास स्थान में बने रहना : जहां इन नियमों में किसी उपबन्ध के अधीन आवंटन के रद्द होने या रद्द हुए समझे जाने के पश्चात् निवास स्थान उस अधिकारी के जिसे वह आवंटित किया गया था या ऐसे व्यक्ति के, जो उसकी मार्फत दावा करता है, अधिभोग में बना रहता है या बना रहा है, वहां ऐसा अधिकारी उस निवास स्थान और सेवाओं फर्नीचर के उपयोग और अधिभोग, के लिए बाजार अनुज्ञप्ति फीस के बराबर उतनी नुकसानी और उद्यान प्रभार, जो समय समय पर सरकार अवधारित करे या उस अनुज्ञप्ति फीस का दो गुना जो वह संदाय कर रहा था, जो भी अधिक हो, संदाय करने के दायित्वाधीन होगा । इसके अतिरिक्त, आवंटिती, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) के अधीन बेदखल किए जाने का दायी होगा ।

परन्तु किसी अधिकारी को, विशेष मामलों में मूल नियम 45–क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस का दो गुना या नियम 45–क के अधीन पूल की गई मानक अनुज्ञप्ति फीस का दो गुना या उस अनुज्ञप्ति फीस का दो गुना, जो वह संदाय कर रहा था, जो भी अधिकतम हो, संदाय करने पर, नियम 9 के उप नियम (2) के अधीन अनुज्ञात अवधि से परे छह मास से अनधिक अवधि के लिए निवास स्थान रखने के लिए आवंटन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

"परन्तु यह और कि सेवा निवृत्ति या सेवान्त छुट्टी की दशा में पूर्वोक्त परन्तुक में यथा उपदर्शित अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर और प्रतिधारण की अवधि चार मास से अधिक नहीं होगी ।"

21. इन नियमों के जारी किए जाने से पहले किए गए आवंटनों का बना रहना : किसी निवास स्थान के किसी ऐसे विधिमान्य आवंटन के बारे में जो इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पूर्व अस्तित्व में हो, इस बात के होते हुए भी इन नियमों के अधीन सम्यक रूप से किया गया आवंटन समझा जाएगा कि ऐसा अधिकारी जिसे आवंटन किया गया है, नियम 5 के अधीन उस टाइप के निवास स्थान का हकदार नहीं है, और इन नियमों के सभी पूर्ववर्ती उपबन्ध उस आवंटन और उस अधिकारी के सम्बंध में तदनुसार लागू होंगे ।

22. नियमों का निर्वचन : यदि इन नियमों के निर्वचन के संबन्ध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो, उसका विनिश्चय यदि आवश्यक हो तो, रक्षा मंत्रालय (वित्त समन्वय) के परामर्श से, रक्षा लेखा महानियंत्रक के द्वारा किया जाएगा ।

23. नियमों का शिथिलीकरण रक्षा लेखा महानियंत्रक, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमो के किसी उपबन्ध या सभी उपबन्धों को, किसी अधिकारी या निवास स्थान या अधिकारियों के किसी वर्ग या निवास स्थानों के किसी टाइप के बारे में शिथिल कर सकेगा ।

24. निवास स्थानों का आरक्षण : सरकार कुछ पदों के धारकों के लिए आदेश द्वारा निवास स्थानों का आरक्षण कर सकती है ।

25. शक्तियों या कृत्यों का प्रत्यायोजन —अनु. नि. 317–ब–26 : सरकार इस विभाग के नियमों द्वारा उसे प्रदत्त कोई शक्ति या सभी शक्तियां अपने नियंत्रणाधीन किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन प्रत्यायोजित कर सकेगी जिन्हें प्रत्यायोजित करना वह ठीक समझे ।

[फा. XVIII/18007/1/ पी.सी.]

प्रेम नाथ, उप वित्तीय सलाहकार (समन्वय)

S.R.O. 351.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the allotment of residences to the officers of Defence Accounts Department (in respect of residences) constructed for them out of civil estimates, namely—

1. Short title, application and commencement.—(1) These rules may be called the allotment of Government Residences (Defence Accounts Department Pool) Rules, 1986.

(2) They shall apply to all officers of the Defence Accounts Dpartments serving in an office/station where Defence Accounts Department has constructed accommodation out of civil estimates.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) "allotment" means the grant of licence to occupy a residence in accordance with the provisions of these rules;

(b) "allotment year" means the year beginning on 1st January or such other period as may be notified by the President.

(c) "Allotting Authority" means, the specific authority empowered by the Controller General of Defence Accounts, to allot Government residence at a station.

(d) "eligible office" means, the office or offices of the Defence Accounts Department or any other office, in a station, the staff of which are declared by the Controller General of Defence Accounts from time to time as eligible for accommodation under these rules;

(e) "emoluments" means, the emolument as defined in Fundamental Rules 45-C, but excluding the compensatory allowances.

Explanation.—In the case of an officer who is under suspension, the emoluments drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension, or, if he is placed under suspension on the first day of the allotment year, the emoluments drawn by him immediately before that date shall be taken as emoluments.

(f) "family" means, the wife or husband, as the case may be, and children, step children, legally adopted children; parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependant on the officer;

(g) 'Government' means the Central Government; unless the context otherwise requires;

(h) 'Priority date' of an officer in relation to a type of residence to which he is eligible under the provisions of rule 5 means the earliest date from which he has been continuously drawing emoluments relevant to a particular type or a higher type in a post under the Central Government or on foreign service, except for periods of leave;

Provided that in respect of a type B, Type C or Type D residence, the date from which the officer has been continuously in service under the Central Government including the period of foreign service, shall be his priority date for that type;

Provided further that where the priority date of two or more officers is the same, seniority among them shall be determined by the amount of emoluments, the officer in receipt of higher emoluments taking precedence over the officer in receipt of lower emoluments and where the emoluments are equal, by the length of service, but where the date of joining service is the same, by their age or dates of birth.

(i) 'licence fee' means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of the Fundamental Rules in respect of a residence allotted under these Rules;

(j) 'residence' means any residence for the time being under the control of the Allotting Authority;

(k) 'sub-letting' includes sharing of accommodation by an allottee with another person with or without payment of licence fee by such other person;

Explanation.—Any sharing of accommodation by an allottee with close relations shall not be deemed to be sub-letting.

(l) 'temporary transfer' means a transfer which involves an absence for a period not exceeding four months;

(m) 'transfer' means transfer from one station to another station or from an eligible office to an ineligible office in the same station and includes a transfer or reversion to service under any other department of Government of India and also deputation to a post in an ineligible office at the station;

(n) 'type' in relation to an officer means the type of residence to which he is eligible under rule 5.

3. Ineligibility of officers owning house for allotment under these rules.—(1) In this rule;

(a) 'adjoining municipality' means any municipality contiguous to a local municipality;

(b) 'house' in relation to an officer or member of his family means a building or part thereof used for residential purposes and situated within the jurisdiction of a local municipality or of any adjoining municipality.

Explanation.—A building, part of which is used for residential purposes, shall be deemed to be a house for the purposes of this clause notwithstanding that any part of it is used for non-residential purposes;

(c) 'local municipality' in relation to an officer means the municipality within whose jurisdiction his office is located;

(d) 'member of family' in relation to an officer means the wife or husband, as the case may be, or a dependent-child of the officer;

(e) 'municipality' includes a municipal corporation, municipal committee or board, a towns area committee, a notified area committee, and a cantonment board.

(2) No officer shall be eligible for allotment of Government residence under these rules, if if he or any other member of his family owns a house at the station, where he is posted.

(3) Where, after a Government residence has been allotted to an officer under these rules, he or any other member of his family constructs a house or otherwise becomes the owner of a house, such officer.

(a) shall notify the fact to the Allotting Authority within a period of four weeks from the date on which he or such member becomes the owner of the house, and;

(b) shall be ineligible for retention of Government residence allotted to him under these rules and shall surrender the Government residence in his occupation within six weeks from the said date.

Explanation.—For the purposes of clauses (a) and(b) a person shall be deemed to become the owner of a house, in the case of a newely constructed house, as from the date the local body concerned gives a certificate of completion or the date of actual occupation of the house, whichever is earlier.

4. (1) Allotment to husband and wife and eligibility in cases of officers who are married to each other.—(1) No officer shall be allotted a residence under these rules, if the wife or the husband, as the case may be, of the officer has already been allotted a residence unless such residence is surrendered;

PROVIDED that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are (a) posted in different stations or (b) residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(2) Where two officers in occupation of separate residence allotted under these rules marry each other, they shall, within one month of the marriage, surrender one of the residences.

(3) If a residence is not surrendered as required by sub-rule (2), the allotment of the residence of the lower type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of the period specified in sub-rule (2) and if the residences are of the same type, the allotment of such one of them, as the Allotting Authority may decide, shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

(4) Where both husband and wife are employed in eligible offices, the title of each of them to allotment of a residence under these rules shall be considered independently.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (4) :-

(a) if a wife or husband, as the case may be, who is an allottee of a residence under these rules, is subsequently allotted a residential accommodation at the same station from a pool to which these rules do not apply, she or he, as the case may be, shall surrender any one of the residences within one month of such allotment;

Provided that this clause shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court;

(b) Where two officers, in occupation of separate residences the same station, one allotted under these rules and another from a pool to which these rules do not apply, marry each other, any one of them shall surrender any one of the residences within one month of such marriage; and

(c) if a residence is not surrendered as required under clause (a) or clause (b), the allotment of residence under these rules shall be deemed to have been cancelled on the expiry of the period specified therein.

5. Classification of residences.—Save as otherwise provided by these rules, an officer (of the category specified in column (2) of the Table) will be eligible for allotment of a residence of the type specified in the corresponding entry in Column (1) of the said Table.

TABLE

Type of residence	Category of officer or his monthly emoluments as on the 1st day of the allotment year in which allotment is made
(1)	(2)
A (or N-3)	Upto Rs. 259/-
B (or N-4)	Rs. 260/- to Rs. 499/-
C (or N-5)	Rs. 500/- to Rs. 999/-
D (or N-6)	Rs. 1,000/- to Rs. 1,499/-
E (or N-7)	Rs. 1,500/- and above.

6. Application for allotment.—(1) Every Government officer in occupation of Government accommodation shall submit his application, in such form and manner and by such date, as may be specified by the allotting Authority in this behalf.

(2) In the case of officers not in occupation of Government accommodation, the Allotting Authority shall invite applications in such form and manner and before such date as may be specified by him.

(3) An officer joining duty in an eligible office at the station on first appointment or on transfer may submit his application to the Allotting Authority within a month of his joining duty.

(4) Applications received under sub-rule(3) on or before the 20th day of a calendar month shall alone be considered for allotment in the succeeding month.

7. Allotment of residences and offers.—(1) Save as otherwise provided in these rules, a residence falling vacant, will be allotted by the Allotting Authority preferably to an applicant desiring a change of accommodation in that type, under the provisions of rule 13 and if not required for that purpose to an applicant without accommodation in that type having the earliest priority date for that type of residence subject to the following conditions ; nomely :—

(a) The Allotting Authority shall not allot a residence of a type higher than that to which the applicant is eligible under rule 5.

(b) The Allotting Authority shall not compel any applicant to accept a residence of a lower type than that to which he is eligible under rule 5.

(c) The Allotting Authority, on request from an applicant for allotment of a lower category of residence, might allot to him a residence next below the type for which the applicant is eligible under rule 5 on the basis of his priority date for the same.

(2) The Allotting Authority may cancel the existing allotment of an officer and allot to him an alternative residence of the same type or, in emergent circumstances, an alternative residence of the type next below the type of residence in occupation of the officer if the residence in occupation of the officer is required to be vacated.

(3) A vacant residence may, in addition to allotment to an officer under sub-rule (1), be offered simultaneously to other eligible officers in order of their priority dates.

8. Non-acceptance of allotment or offer or failure to occupy the allotted residence after acceptance.—(1) If an officer fails to accept the allotment of a residence within five days or fails to take possession of that residence after acceptance within eight days from the date of receipt of the letter of allotment, he shall not be eligible for another allotment for a period of one from the date of the allotment letter.

(2) If an officer occupying a lower type residence is allotted or offered a residence of the type for which he is eligible under rule 5 or for which he has applied under clause (c) of sub-rule (1) of rule 7, he may or refusal of the said allotment or offer of allotment, be permitted to continue in the previously allotted residence on the following conditions ; namely :—

(a) that such an officer not be eligible for another allotment for a period of six months from the date of the allotment letter for the higher class of accommodation ;

(b) while retaining the existing residence he shall be charged the same licence fee which he would have had to pay under Fundamental Rules 45-A in respect of the residence so allotted or offered or the licence fee payable in respect of the residence already in his occupation, whichever is higher.

9. Period for which allotment subsists and the concessional period for further retention.—(1) An allotment shall be effective from the date on which it is accepted by the officer and shall continue in force until :—

(a) the expiry of concessional period permissible under sub-rule (2) after the office ceases to be on duty in in eligible officer at the station where allotment has been made ;

(b) it is cancelled by the Allotting Authority or is deemed to have been cancelled under any provision in these rules ;

(c) it is surrendered by the officer ; or

(d) the officer ceases to occupy the residence.

(2) A residence allotted to an officer may, subject to sub-rule (3) be retained on the happening of any of the events specified in column (1) of the Table below for the period specified in the corresponding entry in column(2) thereof, provided that the residence is required for the bona fide use of the officer or members of his family.

TABLE

Events	Permissible period for retention of the residence
(1)	(2)
(i) Resignation, dismissal, removal from service or termination of service or unauthorised absence without permission.	1 month
(ii) Retirement or terminal leave.	4 months.
(iii) Death of the allottee.	6 months.
(iv) Transfer to a place outside the station or tranfer to ineligible office at the station.	2 months.
(v) On proceeding on foreign service in India.	2 months.
(vi) Temporary transfer in India or transfer to a place outside India.	4 months.
(vii) Leave (other than leave preparatory to retirement, refused leave, terminal leave, medical leave, maternity leave or study leave).	For the period of leave but not exceeding 4 months.
(viii) Maternity leave.	For the period of maternity leave plus leave granted in continuation subject to a maximum of 5 months.
(ix) Leave preparatory to retirement or refused leave granted under Rule 39 of Central Civil Services (Leave) Rules 1972 or leave granted to a Govt. servant who retires under FR-56(j).	For the full period of leave on full average pay, subject to a maximum of 180 days in the case of leave preparatory to retirement and 4 months in other cases, inclusive of the period permissible in the case of retirement.
(x) Study leave, in or outside India.	(a) In case the officer in occupation of accommodation below his entitlement for the entire period of study leave. (b) In case the officer is in occupation of his entitled typed accommodation, for the period of study leave but not exceeding six months provided that where the study leave extends beyond six months he may be allotted alternative accommodation, one type below his entitlement on the expiry of six months or from the date of commencement of the study leave, if he so desires.

(1)	(2)
(xi) Deputation outside India.	For the period of deputation but not exceeding six months.
(xii) Leave on medical grounds.	Full period of leave.
(xiii) On proceeding on training.	For full period of training

Explanation 1.—Where an officer on transfer or foreign service in India is sanctioned leave and avails of it before joining duty at the new office, he may be permitted to retain the residence for the period mentioned against items (iv), (v), (vi) or for the period of leave, whichever is more.

Explanation 2.—Where an order of transfer or foreign service in India is issued to an officer while he is already on leave, the period permissible under Explanation 1, shall count from the date of issue of such order.

(2) Where a residence is retained under sub-rule (2) the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional periods unless immediately on the expiry thereof the officer resumes duty in the eligible office at the station, where allotment has been made.

(4) Where an officer is on medical leave without pay and allowances, he may retain his residence by virtue of the concession under item (xii) of the Table below sub-rule (2), provided that he remits the licence fee for such residence in cash every month and where he fails to remit such licence fee for more than two months, the allotment shall stand cancelled.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) or sub-rule (3) or sub-rule (4), when an officer is dismissed or removed from service or when his services have been terminated and the Head of the Department in respect of the office in which such officer was employed immediately before such dismissal, removal or termination is satisfied that it is necessary or expedient in the public interest to do so, he may require the Allotting Authority to cancel the allotment of the residence made to such officer either forthwith or with effect from such date prior to the expiry of the period of one month referred to in item (i) of the Table below sub-rule (2) as he may specify and the Allotting Authority shall act accordingly.

10. Provisions relating to Licence Fee.—(1) Where an allotment of accommodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for licence fee shall commence from the date of occupation or the eighth day from the date of receipt of the allotment, whichever is earlier.

(2) An officer who, after acceptance, fails to take possession of that accommodation within eight days from the date of receipt of the allotment letter, shall be charged licence fee from such date upto a period of twelve days provided that nothing contained herein shall apply where the Military Engineer Service certifies that the accommodation is not fit for occupation and as a result thereof the officer does not occupy the accommodation within the period aforesaid.

(3) Where an officer, who is in occupation of a residence, is allotted another residence and he occupies the new residence the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the new residence. He may, however, retain the formed residence without payment of licence fee for that day and the subsequent day for shifting:

Provided that if the former residence is not vacated by the subsequent date as aforesaid, the officer will be liable to pay damages for use and occupation of the residence, and services, furniture, and garden charges, equal to the market licence fee as may be determined by the Government from time to time, with effect from the date he takes possession of the latter residence.

11. Personal liability of the officer for payment of licence fee till the residence is vacated and furnishing of surety by Temporary officers.—(1) The officer to whom a residence has been allotted shall be personally liable for the licence fee thereof and for any damage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture, fixtures or fittings or services provided therein by Government during the period for which the residence has been and remains allotted to him or, where the allotment has been cancelled under any of the provisions in these rules until the residence alongwith the out-houses appurtenent thereto has been vacated and full vacant possession thereof has been restored to Government.

(2) Where the officer to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent Government servant, he shall execute a surety bond in the form prescribed in this behalf by the Government with a surety, who shall be a permanent Government servant serving under the Central Government for the due payment of licence fee and other charges due from him in respect of such residence and services and any other residence provided in lieu thereof.

(3) If the surety ceases to be in Government service or becomes insolvent or withdraws his guarantee or ceases to be available for any other reasons, the officer shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty days from the date of his acquiring knowledge of such event or fact and if he fails to do so, that allotment of the residence to him shall, unless otherwise decided by the Allotting Authority be deemed to have been cancelled from the date of that event.

12. Surrender of an Allotment and Period of Notice.—(1) An officer may, at any time, surrender an allotment by giving intimation to that effect so as to reach the Allotting Authority at least ten days before the date of vacation of the residence. The allotment of the residence shall be deemed to be cancelled with effect from the eleventh day after the day on which the intimation is received by the Allotting Authority or the date specified in the intimation, whichever is later. If the officer fails to give due notice he shall be reasonsible for payment of licence fee for ten days or the number of days by which the notice given by him falls short of ten days provided that the Allotting Authority may accept a notice for a short period.

(2) An officer who surrenders the residence under sub-rule (1) shall not be considered again for allotment of Government accommodation at the same station for a period of one year from the date of such surrender.

13. Change of Residence.—(1) An officer to whom a residence has been allotted under these rules may apply for a change to another residence of the same type or a residence of the type to which he is eligible under rule 5, whichever is lower. Not more than one change shall be allowed in respect of one type of residence allotted to the officer.

(2) Applications for change made in the form prescribed by the Allotting Authority shall be received quarterly by 15th March 15th June, 15th Sept., and 15th December, and shall be included in the waiting list in the succeeding month. Four purposes of this rule, the officers whose names are included in the waiting list in an earlier quarter shall be seniors in block to those whose names are included in the list in subsequent quarters. The inter-se-seniority of the officers included in the list in any particular quarter shall be determined in the order of their priority dates.

(3) Changes shall be offered in order of seniority determined in accordance with sub-rule (2) and having regard to the officer's preference as far as possible;

Provided that no change of residence shall be allowed during a period of six months immediately preceding the date of superannuation.

(4) If an officer fails to accept a change of residence offered to him within five days of the receipt of such offer or allotment, he shall not be considered again for a change of allotment of that type.

(5) An officer who, after accepting a change of residence, fails to take possession of the same, shall be charged licence fee for such residence in accordance with the provisions of sub-rule (2) of rule 10 in addition to the normal licence fee under Fundamental Rule 45-A, for the residence already in his possession the allotment of which shall continue to subsists.

14. Change of Residence in the Event of Death of a Member of the Family.—Notwithstanding anything contained in rule 13, an officer may be allowed a change of residence on the death of any member of his family, if he applies for a change within three months of such occurrence provided that the change will be given in the same type of residence and in the same floor as the residence already allotted to the officer.

15. Mutual Exchange of Residence.—Officers to whom residence of the same type have been allotted under these rules may apply for permission to mutually exchange their residences. Permission for mutual exchanges may be granted if both the officers are reasonably expected to be on duty at the station and to reside in their mutually exchanged residences for at least six months from the date of approval of such exchange.

16. Transfer to Non-Family Station.—If an officer is transferred to a station where he is not permitted or advised by Government to take his family with him and the residence allotted to him under these rules, is required by the family for the bona-fide educational needs of his childeren he may be allowed, on request, to retain the residence on payment of licence fee under Fundamental Rule 45-A till the end of current academic season of his children in the station.

17. Maintenance of Residence.—The officer to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Military Engineer Services and local Municipal Committee or Corporation. Such officer shall not grow any tree, shrubs or plants contrary to the instructions issued by the Government or the Military Engineer Services, nor cut or lop off any existing tree or shrub in any garden, courtyard or compound attached to the residence save with the prior permission in writing of the authorities aforesaid. Trees, plantation of vegetation, grown in contravention of this rule may be caused to be removed by the Allotting Authority at the risk and cost of the officer concerned. For keeping cattle, dogs and poultry in the premises of the Government accommodation the officer should take prior sanction of the Allotting Authority and of the local civic body.

18. Sub-Letting and Sharing of Residence.—(1) No officer shall share the residence allotted to him or any of the out houses, garages, appurtenant thereto except wit the employees of Central Government eligible for allotment of residence under these rules. The servants quarters out-houses, garages may be used only for the bona-fide purposes including residence of the servants of the allottee or for such other purpose as may be permitted by the Allotting Authority.

(2) No officer shall sub-let the whole of his residence:

Provided that an officer proceeding on leave may accommodate in the residence any other officer eligible to share Government accommodation, as a caretaker for the period specified in sub-rule (2) of rule 9, but not exceeding six months.

(3) Any officer who shares or sub-lets his residence shall do so at his own risk and responsibility and shall remain personally responsible for any licence fee payable in respect of the residence and for any damage caused to the residence or its precincts or grounds or service, provided therein by Government beyond fair wear and tear.

19. Consequences of Breach of Rules and Conditions.—(1) If an officer to whom a residence has been allotted unmauthorisedly sublets the residence or changes licence fee from the sharer at a rate which the Allotting Authority considers excessive or erects any unauthorised structure in any part of the residence or uses the residence or any portion thereof for any purposes other than that for which it is meant or tampers with the electric or water connection or commits any other breach of the rules or of the terms and conditions of the allotment or uses the residence or premises to be used for any purposes which the Alloting Authority considers to be improper or conducts himself in a manner which in his opinion is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with his neighbours or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement with a view to securing the allotment, the Allotting Authority may, without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him, cancel the allotment of the residence.

Explanation.—(1) In the this sub-rule, the expression 'officer' includes unless the context otherwise requires a member of his family and any person claiming through the officer.

(2) If an officer sublets a residence allotted to him or any portion thereof or any of the out-houses, garages appurtenant thereto in contravention of these rules, he may without prejudice to any other action that may be taken against him, be charged enhanced licence fee not exceeding four times the standard licence fee under Fundamental Rule 45-A. The quantum of licence fee and the period for which the same may be recovered in each case will be decided by the Allotting Authority on merits. In addition, the officer may be debarred from sharing the residence for a specified period in future as may be decided by the Allotting Authority.

(3) Where action to cancel the allotment is taken on accounts of unauthorised sub-letting of the premises by the allottee, a period of sixty days shall be allowed to the allottee and any other person residing with him therein to vacate the premises. The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of sixty days from the date of the orders of the cancelation of the allotment, whichever is earlier.

(4) Where the allotment of a residence is cancelled for conduct pre-judicial to the maintenance of harmonious relations with neighbours, the officer at the discretion of the Alloting Authority, may be allotted another residence of the same class at any other place.

(5) The Allotting Authority shall be competent to take all or any of the actions under sub-rules (1) to (4) of this rule and also to declare the officer, who commits a breach of the rules and instructions issued to him, to be ineligible for allotment of residential accommodation for a period not exceeding three years.

(6) Where any panalty under this rule is imposed by the Allotting Authority, the aggrieved person, may within twenty one days of receipt of the orders by him of his employer imposing the penalty, file a representation to the C.G.D.A.

(7) The original order imposing the penalty shall stand unless it is modified or rescinded as a result of the representation.

20. Overstayal in Residence after Cancellation of Allotment.—Where, after an allotment has been cancelled or is deemed to be concelled under any provision contained in these rules, the residence remains or has remained in occupation of the officer to whom it was allotted or of any person claiming through him, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services, furniture and garden charges, equal to the market licence fee, as may be determined by Government from time to time or twice the licence fee he was paying whichever is higher. In addition, the allottee shall be liable to eviction under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupant) Act, 1971 (40 of 1971 :

Provided that an officer, in special cases, may be allowed by the Allotting Authority to retain a residence on payment of twice the standard licence fee under Fundamental Rule 45-A or twice the pooled standard licence fee under 45-A whichever is higher or twice the licence fee he was paying, whichever is highest, for a period not exceeding six months beyond the period permitted under sub-rule (2) of rule 9.

Provided further that in the event of retirement or terminal leave, the period for further retention on payment of licence fee as indicated in the aforesaid proviso shall be not exceeding 4 months.

21. Continuance of Allotments made Prior to the Issue of these Rules.—Any valid allotment of a residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules under the rule then in force shall be deemed to be an allotment duly made under these rules notwithstanding that the officer to whom it has been made is not entitled to a residence of that type under rule 5 and all the preceding provisions of these rules shall apply in relation to that allotment and that officer accordingly.

22. Interprentation of Rules.—If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Controller General of Defence Accounts in consultation with inistry of Defence (Finance).

23. Relaxation ofRules.—The Government may for reasons to be recorded in writing relax any or all the provisions of these rules, in the case of any officer or residence or class of officers or type of residences.

24. Reservation of Residences.—Government may by an order reserve residences for the incumbents of certain posts.

25. Delegation of Power or Functions.—The Government may delegate any or all the powers conferred upon it by the rules to any officer under its control subject to such conditions as it may deem fit to impose.

[No. AN/XVIII/18007|i|Vol.-V.]
PREM NATH, Dy. Financial Adviser (Coord)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986